सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 07, मंगलवार, *शाके* 1945-अगस्त 29, 2023
Bhadra 07, Tuesday , Saka 1945- August 29, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 03, 2023

(अन्तर्गत भूमि अर्जन एव ंपुर्नर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

संख्या एफ.2(10)एएस/अनु.2/2022–23/डी–1680 :–राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन पुर्नर्वासन और पुर्नर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन पुर्नर्वासन और पुर्नर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानोनुसार एवं राजस्थान सरकार कस्बा निवाई एल.सी.–36 एवं एल.सी.–41 कि संयुक्त सचिव (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयुपर के पत्रांक एफ. 7(434)/अनु–2/सीआरएफ/2022–21/डी–592 दिनांक 05.06.2023 द्वारा केन्द्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) योजना में स्वीकृत Construction of ROB at IR Km 62/705 in Lieu of LC-36 on Newai-Jhilai Road (SH-117) Between Siras – BansthaliNewai Railway Station on Swaimadhopur Railway Section and Construction of ROB at IR Km 67/180 in Lieu of LC-41 on Newai-Jaipur Road (Maharajpura) Between Bansthani Newai Chainnani Railway Station on Swaimadhopur- Jaipur Railway Section Newai की भूमि अवाप्ति एवं यूटिलिटी सर्विसेज हेतु राशि क्रमशः 24.95 करोड़ एवं 15.79 करोड़ स्वीकृत की है। रेलवे ओवरब्रिज के लिए भूमि अवाप्ति कि जानी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव	
1.	टोंक	निवाई	कस्बा निवाई	LC-36
2.	टोंक	निवाई	महाराजपुरा, रूपवास एवं चैनपुरा	LC-41

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाधान निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा LC-36 एवं LC-41 के लिए भूमि अवाप्ति कस्बा निवाई एव ंमहाराजपुरा, रूपवास एवं चैनपुरा में किया जाना है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित गांवों म सामाजिक समाधान निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाधान निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाधान निर्धारण की प्रारूप तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवों में समचित सभा तत्पश्चात् प्रभावित गांवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप में रिकॉर्ड किया जावेगा।
3. जन सुनवाई के दौरान आपके सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधान प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाधान निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांवों में संबंधित पंचायत, नगरपरिषद के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाधान मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इसक वा वाद की अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाधान निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :–
सामाजिक समाधान निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड निवाई
E-mail ID- eepwdnewai@gmail.com

सुनील गुप्ता,
संयुक्तसचिव (पथ),
सार्वजनिकनिर्माणविभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।